

12/3/22

पवावली जेश दुर्ग। वहील उमम पक्ष उपन
कार्य भाविकता होके से आदेश नही लिखा
गया। पवावली वाले आदेश दिनांक 11/3/22
को पेश हो

ए. सी. ई. एम. (का. दे.)
नवलगाढ़

10/3/22

पवावली जेश दुर्ग। वहील उमम पक्ष उपन पक्षगान
बूल बाद मे राजीनामा प्रस्तुत किया। प्रकृष्ट भासाई
मिषेद्याला मे विवादगत आराजी मे बूल बाद के
निष्कारण तक रिपोर्ट एवं मॉडे से यथास्थिति बनाये
रखने के लिए सहमत है। फलस्वरूप उमम पक्ष को
बूल बाद निष्कारण तक विवादगत आराजी के लेवेंघ
मे रिपोर्ट व मॉडे से यथास्थिति बनाये रखने के
आदेश दिये जाते हैं। पवावली जेश उमम होकर वही
मखर से कम हो गया। बूल बाद के साथ संलग्न है।
आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

ए. सी. ई. एम. (का. दे.)
नवलगाढ़

